रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239329
CG-DL-E-04102022-239329

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 3, 2022/आश्विन 11, 1944
No. 677] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2022/ASVINA 11, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 761(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (चौथा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में, नियम 29 के प्रश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"29 क अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी इकाई द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से वायुयान के आयात या निर्यात या से उपापन या को आपूर्ति की प्रक्रिया। - (1) नियम 29 में किसी बात के होते हुए भी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित इकाई, वायुयान का आयात करने में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगी, अर्थात्: -

(क) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई घरेलू खपत के लिए प्रविष्टि बिल पांच प्रतियों में प्रस्तुत करेगा, जिसमें "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कार्गो" के रूप में विशेष रूप से मुहर पृष्ठांकन सहित विवरण के साथ बीजक और प्राधिकृत

प्राधिकारी को पैकिंग सूची दी जाएगी जो एक चालू वार्षिक क्रम संख्यांक रजिस्टर करेगा और समनुदेशित करेगा तथा संव्यवहार मूल्य के आधार पर प्रविष्टि बिल का आकलन करेगा, जिस पर विनिर्दिष्ट अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) प्रविष्टि बिल फाईल करते समय, पट्टाकर्ता निर्वहन के पत्तन या सीमा शुल्क लैंडिंग स्टेशन को संबंधित सीमा शुल्क विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन के रूप में इंगित करेगा जहां अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा पहली बार वायुयान प्राप्त किए जाने की आशा है:

परंतु जहां प्रविष्टि बिल का आकलन इसको फाईल करने की तारीख पर ही नहीं किया जाता है, वहां माल को रजिस्ट्रीकृत प्रविष्टि बिल के आधार पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस आशय का पृष्ठांकन कर दिया गया है;

परंतु यह और कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा अभिहित स्थान सीमा शुल्क विमानपत्तन के भीतर सीमा शुल्क क्षेत्र या सीमा शुल्क बंधित भांडागार होगा जहां अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा पहली बार वायुयान प्राप्त होने की आशा है;

परंतु यह और भी कि जहां वायुयान की लागत के बिना या ऋण या पट्टे के आधार पर प्रदाय कर दिया गया है, वहां प्रविष्टि बिल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई और प्रदायकर्ता के नाम पर संयुक्त रूप से फाईल किया जाएगा;

(ग) आकलित प्रविष्टि बिल आयात के स्थान पर ई-मेल या इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य पद्धति के माध्यम से सीमा शुल्क अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और इसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा अभिहित स्थान पर माल के स्थानांतरण की अनुज्ञा समझा जाएगा;

(घ) आकलित प्रविष्टि बिल की प्राप्ति पर, सीमा शुल्क विमानपत्तन पर सीमा शुल्क अधिकारी वायुयान के चिह्न और संख्या का निरीक्षण और यदि आवश्यक हो तो उसकी जाँच करेगा, और विशेष आर्थिक जोन सीमा शुल्क प्राधिकृत अधिकारी को ई-मेल या इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य पद्धति के माध्यम से, वायुयान भंडारित या पार्क किए गए स्थान सहित जाँच या निरीक्षण रिपोर्ट भेजेगा।

(ड.) सीमा शुल्क विमानपत्तन पर सीमा शुल्क अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति और गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी विशेष आर्थिक जोन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आकलित प्रविष्टि बिल से ब्यौरे के सत्यापन को ऐसे मालों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई में पहुँचना समझा जाएगा और माल के प्रभार के बिना सीमा शुल्क प्रक्रिया को पूरा हुआ समझा जायेगा;

(च) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा आयातित वायुयान संबंधित सीमा शुल्क विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1965 की धारा 45 के अधीन अनुमोदित ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में है।

(2) घरेलू टैरिफ क्षेत्र से वायुयान की खरीद के मामले में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा, अर्थात्: -

(क) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई के रूप में अनुमोदित पट्टेदार खरीद पर या पट्टे के आधार पर वायुयान खरीद सकते हैं;

(ख) उपापन के लिए, सभी कर बीजक, घरेलू टैरिफ क्षेत्र उपापन की फाइलिंग और माल और सेवा कर अधिनियम, 2019 या अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित अन्य दस्तावेज विशेष आर्थिक जोन सीमा शुल्क के माध्यम से फाईल किए जाएंगे;

परंतु जहाँ घरेलू प्रदायकर्ता द्वारा ऋण या पट्टे के आधार पर वायुयान का प्रदाय किया जाता है, घरेलू टैरिफ क्षेत्र उपापन के लिए दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई और घरेलू प्रदायकर्ता के नाम पर संयुक्त रूप से फाईल किए जाएंगे;

(ग) खंड (ख) में विवरणित दस्तावेज प्राप्ति के पत्तन या लैंडिंग स्टेशन के संबंधित सीमा शुल्क विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन के बारे में इंगित करेंगे जहां अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा पहली बार वायुयान प्राप्त होने की आशा है;

(घ) वायुयान के चिह्न और संख्या की जांच और निरीक्षण के लिए, प्राधिकृत अधिकारी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा संबंधित दस्तावेजों को फाईल करने के चौबीस घंटे के भीतर संबंधित सीमा शुल्क विमानपत्तन के उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी को ईमेल या किसी अन्य प्राधिकृत पद्धति से सूचित करेगा;

(ड.) संबंधित सीमा शुल्क विमानपत्तन पर सीमा शुल्क अधिकारी ऐसे वायुयान के चिह्न और संख्या की जांच या निरीक्षण करेंगे और ईमेल या किसी अन्य प्राधिकृत पद्धति से संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को वायुयान भंडारित या पार्क किए जाने के स्थान सहित जांच या निरीक्षण रिपोर्ट भेजेंगे:

(च) सीमा शुल्क विमानपत्तन पर सीमा शुल्क अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खंड (ख) के अनुसार फाईल किए गए दस्तावेज से ब्यौरे के सत्यापन को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई में ऐसे माल का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई में पंहुचना समझा जाएगा और माल के प्रभार के बिना सीमा शुल्क प्रक्रिया को पूरा हुआ समझा जायेगा;

(छ) पट्टादाता यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा आयातित वायुयान संबंधित सीमा शुल्क विमानपत्तन, पत्तन या लैंडिंग स्टेशन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1965 की धारा 45 के अधीन अनुमोदित ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में है।

(3) भारत में विशेष आर्थिक जोन में स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा पट्टे पर या एकमुश्त आधार पर वायुयान के प्रदाय के मामले में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात्: -

(क) विशेष आर्थिक जोन में स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई के रूप में अनुमोदित पट्टेदार घरेलू टैरिफ क्षेत्र में पट्टे पर या एकमुश्त आधार पर वायुयान का प्रदाय कर सकते हैं;

(ख) अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित यथास्थिति घरेलू टैरिफ क्षेत्र के व्रिकय के लिए सभी प्रविष्टि बिल और अन्य ऐसे दस्तावेज, विशेष आर्थिक जोन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा सीमा शुल्क को प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ग) खंड (ख) में विवरणित दस्तावेज संबंधित सीमा शुल्क विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन के रूप में प्राप्ति या लैंडिंग स्टेशन के पत्तन को इंगित करेंगे जहां वायुयान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा भंडारित या पार्क किया गया है;

(घ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र विक्रय के लिए प्रविष्टि बिल के आकलन के पश्चात, भारत में आयातक लागू शुल्क का भुगतान करेगा;

(ड.) वायुयान के चिन्ह और संख्याओं की जांच और निरीक्षण के लिए, प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, संबंधित सीमा शुल्क विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन के उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी को, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा संबंधित दस्तावेजों को फाईल करने के चौबीस घंटे के भीतर, ई-मेल या इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य पद्धति के माध्यम से सूचित करेगा।

(च) संबंधित सीमा शुल्क विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन पर सीमा शुल्क अधिकारी ऐसे वायुयान के चिन्ह और संख्याओं की जांच या निरीक्षण करेंगे और जॉच या निरीक्षण रिपोर्ट, जिसमें वह स्थान भी सम्मिलित है जहां वायुयान भंडारित या पार्क किया गया है, संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को ई-मेल या इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य पद्धति के माध्यम से भेजेंगे;

(छ) विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन पर सीमा शुल्क अधिकारी से जॉच या निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और विशेष आर्थिक जोन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रविष्टि बिल के आकलन से ब्यौरे का सत्यापन घरेलू टैरिफ क्षेत्र में माल के प्रभार के बिना सीमा शुल्क प्रक्रिया को पूरा हुआ समझा जाएगा;

(ज) घरेलू टैरिफ क्षेत्र के विक्रय के लिए प्रविष्ट बिल के प्रभार मुक्त हो जाने के पश्चात, प्राधिकृत अधिकारी संबंधित सीमा शुल्क विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन पर सीमा शुल्क अधिकारियों को भारत में वायुयान को भौतिक रूप से हटाने की अनुज्ञा देने के लिए सूचित करेगा;

(झ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में वायुयान को हटाने के पश्चात्, विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन पर सीमा शुल्क अधिकारी संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को ईमेल या इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य पद्धति के माध्यम से इसकी सूचना देंगे।

(4) विशेष आर्थिक जोन में स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा पट्टे पर या एकमुश्त आधार पर वायुयान के निर्यात के मामले में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगी, अर्थात्: -

(क) विशेष आर्थिक जोन में स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई के रूप में अनुमोदित पट्टेदार पट्टे पर या एकमुश्त आधार पर वायुयान का निर्यात कर सकते हैं;

(ख) जो अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए गए, यथास्थिति, सभी लदान पत्र और ऐसे अन्य दस्तावेज,सीमा शुल्क के साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा;

(ग) खंड (ख) में विवरणित दस्तावेज लदान के पत्तन को संबंधित सीमा शुल्क विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन के रूप में इंगित करेंगे जहां वायुयान पहले से ही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा भंडारित या पार्क किया गया है;

(घ) वायुयान के चिन्ह और संख्याओं की जांच और निरीक्षण के लिए, प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, संबंधित सीमा शुल्क विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन के उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी को, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा संबंधित दस्तावेजों को फाईल करने के चौबीस घंटे के भीतर, ई-मेल या इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य पद्धति के माध्यम से सूचित करेगा;

(ङ) संबंधित सीमा शुल्क विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन पर सीमा शुल्क अधिकारी ऐसे वायुयान के चिन्ह और संख्याओं की जांच या निरीक्षण करेंगे और उस स्थान सहित जहां वायुयान भंडारित या पार्क किया गया है, ई-मेल या इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य पद्धति के माध्यम से संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को जाँच या निरीक्षण रिपोर्ट अग्रेषित करेंगे;

(च) विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन पर सीमा शुल्क अधिकारी से जांच या निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और विशेष आर्थिक जोन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत लदान पत्र से ब्यौरे का सत्यापन और माल के निर्यात आदेश के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा वायुयान के निर्यात के लिए प्रक्रिया को पूरा करना समझा जाएगा;

(छ) माल के निर्यात आदेश प्रदान करने के पश्चात, प्राधिकृत अधिकारी संबंधित सीमा शुल्क विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन पर सीमा शुल्क अधिकारियों को भारत के बाहर वायुयान को भौतिक रूप से हटाने की अनुज्ञा देने के लिए सूचित करेगा;

(ज) विमान के निर्यात के पश्चात, विमानपत्तन या पत्तन या लैंडिंग स्टेशन पर सीमा शुल्क अधिकारी ई-मेल या इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य पद्धति के माध्यम से संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को इसकी सूचना देगा।

[फा. सं. एफ-20019/3/2019-एसईजेड–भाग (1)]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के तारीख राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 576 (अ), तारीख 14 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2022

G.S.R. 761(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Fourth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, after rule 29, the following rule shall be inserted, namely: -

'29A. Procedure of import or export or procurement from or supply to Domestic Tariff Area of aircraft by a Unit in International Financial Services Centre. - (1) Nothwithstanding anything in rule 29, the Unit based in the International Financial Services Centre approved by the International Financial Services Centre Authority, importing aircraft shall follow the procedure as given below, namely:-

(a) the Unit in the International Financial Services Centre shall file Bill of Entry for home consumption in quintuplicate giving therein, description with specially stamped endorsement as "International Financial Services Centre Cargo" along with invoice and packing list with the Authorised Officer who shall register and assign a running annual serial number and assess the Bill of Entry, on the basis of transaction value, which shall not require any counter signature of the Specified Officer;

(b) while filing the bill of Entry, the lessor shall indicate port of discharge or customs landing station as the respective customs airport or port or landing station where aircraft is expected to be received first time by the International Financial Services Centre Unit:

Provided that where the Bill of Entry is not assessed on the date of filing itself, the goods shall be allowed to be transferred to place designated by the International Financial Services Centre Unit on the basis of the registered Bill of Entry if an endorsement to this effect has been made by the Authorised Officer:

Provided further that, the place designated by the International Financial Services Centre Unit shall be the customs area or a customs bonded warehouse within the customs airport where aircraft is expected to be received first time by the International Financial Services Centre Unit:

Provided also that where the aircraft is supplied free of cost or on loan or lease basis, the Bill of Entry shall be filed jointly in the name of the International Financial Services Centre Unit and the supplier;

(c) assessed Bill of Entry shall be submitted to the customs officer at the place of import through an e-mail or any other mode authorised under these rules and the same shall be treated as permission for transfer of goods to the place designated by the International Financial Services Centre Unit;

(d) on receipt of assessed Bill of Entry, the customs officer at the customs airport shall inspect marks and numbers of the aircraft and conduct examination, if necessary, and forward examination or inspection report, including the location where the aircraft is stored or parked, to the Special Economic Zone Customs Authorised Officer through an e-mail or any other mode authorised under these rules;

(e) the receipt of the report from customs officer at the customs airport and verification of the details from the assessed Bill of Entry by the Authorised Officer at the Gujarat International Finance Tec-City Special Economic Zone shall be deemed to be the arrival of such goods to the International Financial Services Centre Unit and completion of the customs procedure for out of charge of the goods;

(f) the International Financial Services Centre Unit shall be responsible for ensuring that aircraft imported by the International Financial Services Centre Unit is under the custody of such person approved under section 45 of the Customs Act, 1965, for the respective customs airport or port or landing station.

(2) In case of procurement of aircraft from Domestic Tariff Area, the International Financial Services Centre Unit shall follow the procedure as given below, namely:-

(a) lessors approved as Unit in the International Financial Services Centre may procure aircraft on purchase or on a lease basis;

(b) for procurement, all Tax Invoice, filing of Domestic Tariff Area Procurement and other documents prescribed under the Goods and Services Tax Act, 2019 or the Act or the rules made thereunder, shall be submitted through SEZ Customs;

Provided that where the aircraft is supplied on loan or lease basis by a domestic supplier, documents for Domestic Tariff Area procurement shall be filed jointly in the name of the International Financial Services Centre Unit and domestic supplier;

(c) the documents stated in clause (b) shall indicate port of receipt or landing station as the respective customs airport or port or landing station where aircraft is expected to be received first time by the International Financial Services Centre Unit;

(d) for examination and inspection of marks and numbers of the aircraft, the Authorised Officer shall communicate to the appropriate customs officer of concerned customs airport within twenty-four hours of filing of respective documents by the International Financial Services Centre Unit, through an e-mail or any other authorised mode;

(e) customs officials at the respective customs airport shall carry out examination or inspection of marks and numbers of such aircraft and forward examination or inspection report, including the location where the aircraft is stored or parked, to the Authorised Officer concerned through an e-mail or any other authorised mode;

(f) on receipt of the report from customs officer at the customs airport and verification of the details from the document filed as per clause (b) by the Authorised Officer at the International Financial Services Centre Unit shall be deemed to be arrival of such goods to the International Financial Services Centre Unit and completion of the customs procedure for out of charge of the goods;

(g) the lessor shall be responsible for ensuring that aircraft imported by the International Financial Services Centre Unit is under the custody of such person approved under section 45 of the Customs Act, 1965, for the respective customs airport or port or landing station.

(3) In case of supply of aircraft on lease or outright basis, or the International Financial Services Centre Unit based in Special Economic Zone into India shall follow the procedure given below, namely:-

(a) lessors approved as the International Financial Services Centre Unit located in Special Economic Zone may supply the aircraft on lease or outright basis into Domestic Tariff Area;

(b) all Bill of Entry for Domestic Tariff Area sale and other such documents, as the case may be, prescribed under the Act or the rules made thereunder shall be submitted through Special Economic Zone online system by the International Financial Services Centre Unit with the Customs;

(c) the documents stated in clause (b) shall indicate port of receipt or landing station as the respective customs airport or port or landing station where aircraft is already stored or parked by the International Financial Services Centre Unit;

(d) after assessment of Bill of Entry for Domestic Tariff Area sale, the importer in India shall make payment of duty as applicable;

(e) for examination and inspection of marks and numbers of the aircraft, the Authorised Officer shall communicate to the appropriate customs officer of the customs airport or port or landing station concerned, as the case may be, within twenty-four hours of filing of respective documents by the International Financial Services Centre Unit, through an e-mail or any other mode authorised under these rules;

(f) customs officials at the respective customs airport or port or landing station shall carry out examination or inspection of marks and numbers of such aircraft and forward the examination or inspection report, including the location where the aircraft is stored or parked, to the Authorised Officer concerned through an e-mail or any other mode authorised under these rules;

(g) the receipt of the examination or inspection report from customs officer at the airport or port or landing station and verification of the details from the assessed Bill of Entry by the Authorised Officer at the Special Economic Zone shall be deemed to be completion of the customs procedure for out of charge of the goods into Domestic Tariff Area;

(h) after out of charge of Bill of Entry for Domestic Tariff Area sale has been completed, the Authorised Officer shall intimate the customs officials at the respective customs airport or port or landing station to allow the physical removal of aircraft into India;

(i) after the removal of aircraft into Domestic Tariff Area, customs officer at the airport or port or landing station shall intimate the same to the Authorised Officer concerned through email or any other mode authorised under these rules.

(4) In case of export of aircraft on lease or outright basis, the International Financial Services Centre Unit based in Special Economic Zone shall follow the procedure as given below, namely: -

(a) lessors approved as the International Financial Services Centre Unit located in Special Economic Zone may export the aircraft on lease or outright basis;

(b) all Shipping Bills and other such documents, as the case may be, prescribed under the Act or the rules made thereunder, shall be submitted by the International Financial Services Centre Unit with Customs;

(c) the documents stated in clause (b) shall indicate port of shipment as the respective customs airport or port or landing station where the aircraft is already stored or parked by the International Financial Services Centre Unit;

(d) for examination and inspection of marks and numbers of the aircraft, the Authorised Officer shall communicate to the appropriate customs officer of customs airport or port or landing station concerned, as the case may be, within twenty-four hours of filing of respective documents by the International Financial Services Centre Unit, through an e-mail or any other mode authorised under these rules;

(e) customs officials at the respective customs airport or port or landing station shall carry out examination or inspection of marks and numbers of such aircraft and forward examination or inspection report, including the location where the aircraft is stored or parked, to the Authorised Officer concerned through an e-mail or any other mode authorised under these rules;

(f) the receipt of the examination or inspection report from customs officer at the airport or port or landing station and verification of the details from the submitted Shipping Bill by the Authorised Officer at the Special Economic Zone and completion of the customs procedure for Let Export Order of the goods shall be deemed to be the completion of procedure for export of aircraft by the International Financial Services Centre Unit;

(g) after grant of Let Export Order, the Authorised Officer shall intimate the customs officials at the respective customs airport or port or landing station to allow the removal of aircraft outside India physically;

(h) after the aircraft is exported, customs officer at the airport or port or landing station shall intimate the same to the Authorised Officer concerned through email or any other mode authorised under these rules'.

[F. No. F-20019/3/2019-SEZ-Part(1)]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 576 (E), dated the 14th July, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.04 15:44:06 +05'30'